Form No. III

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

सुरजपाल सिंह .... बनाम बहादुरसिंह

किस्म मुकदमा ***राजस्व वाद अन्तर्गत धारा*** 212 ***काश्तकारी अधिनियम*** 1955 नं. 40 सन् **2017**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए
6/7/17	वकील वादी उपस्थित । वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत 212 .... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 10/8/17 को पेश हो। Sd/- **उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन**	
26/10/17	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी मय प्रार्थी उप0/ मूल पत्रावली के साथ पत्रावली आयन्दा दिनांक 6/11/17 को पेश हो। Sd/- SDOM	
6/11/17	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उप0/ मूल पत्रावली आयन्दा दिनांक 10/11/17 को पेश हो Sd/- SDOMJ	
10/11/17	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उप0/ मूल वाद के साथ पत्रावली आयन्दा दिनांक 8/12/17 को पेश हो। SDOM	
	...यन्दा दिनांक 24/1/19 को पेश हो AG SDOMJ	

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।
17/5/19	पत्रावली पेश हुइ आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/ बैठक में पधारे हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक. 4/6/19 को पेश हो ! रिडर उप खण्ड अधिकारी एंव मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन	
4/6/19	पत्रावली पेश हुइ आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/ बैठक में पधारे हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक. 24/7/19 को पेश हो ! रिडर उप खण्ड अधिकारी एंव मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन	
24/7/19	पत्रावली पेश हुइ आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/ बैठक में पधारे हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक. 13/8/19 को पेश हो ! रिडर उप खण्ड अधिकारी एंव मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन	
	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी उप०। प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते मनन बहस आइंदा दिनांक 20/8/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मारवाड़ जंक्शन	
20/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अजालतन एवं वकालतन उप०। प्रार्थी द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। निर्णय बरे इजलास आज दिनांक 20/8/19 को पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर मारवाड़ जंक्शन	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन

बइलजास शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 40/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सुरजपालसिंह		1. बहादुरसिंह 2. भूमिधारी तहसीलदार मा. जं. 3. उप पंजीयन अधिकारी मा.जं.

निर्णय अन्तर्गत धारा– 212 राज. काश्तकारी अधिनियम तथा सपठित धारा 151सीपीसी वकील प्रार्थी :– श्री हनवंत सिंह एवं प्रार्थी असालतन एवं वकालतन उपस्थित।

निर्णय दिनांकः– 20/8/19

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा सपठित धारा 151 सीपीसी का इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा ग्राम सिरीयारी के खसरा नम्बर 1065/1 रकबा 3.6042 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1068 रकबा 19.7031 कुल खसरा 2 कुल रकबा 23.3073 हैक्टर आई हुई है जो कि प्रार्थी के पिता की खरीदसुदा अप्रार्थी के नाम की खातेदारी कृषि भूमि है। जो कि वादग्रस्त आराजी है।

वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या एक का 1/5 हिस्सा आता है। वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक के पिता नाहरसिंह ने दिनांक 21.10.1969 को दलपतसिंह, गुलाबसिंह से गत खसरा 438 रकबा 100 बीघा में 1/5 हिस्सा खरीद किया। जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 1068 है। साथ ही पेमा, बादर, बाबुलाल आदि से दिनांक 18.09.79 को खसरा नम्बर 1065 में से 14 बीघा 5 बिस्वा भूमि खरीद की। खरीद के समय बहादुरसिंह नाबालिग थे, अतः खरीद का व्यय प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता ने वहन किया। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी ने लाखों रूपये खर्च करके कुआ खुदवायाएवं विद्युत कनेक्शन लिया एवं उसे कृषि योग्य बनाया। चुंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 के पिता की खरीदशुदा भूमि है अतः प्रार्थी का भी अप्रार्थी के बराबर 1/10 हिस्सा निहित है। वर्तमान में प्रार्थी का 1/10 हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 के पिता की वर्ष 2003 में मृत्यु के पश्चात नामांतरकरण भरते समय अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी 1 को प्रार्थी का नाम दर्ज करवाने का बोलने पर वह हमेशा टालमटोल करता। एवं एलानिया धमकी देने लगा कि मेरे नाम खातेदारी है तो में किसी और को बेचान कर दुंगा। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का भी 1/10 हिस्सा का अधिकारी है अतः अप्रार्थी को उसके कृत्यों से जरीये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जाना बहुत जरूरी है। अतः यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया है।

अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध मूल वाद में दिनांक 10.11.17 को एकतरफा कार्यवाही अमल में ली जा चुकी है। तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का जबाब आदिनांक तक पेश नहीं किया गया अतः इनका जबाब बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक के पिता की खरीदशुदा भूमि है। जो कि प्रार्थी के पिता ने अप्रार्थी 1 के नाबालिक होते समय ली थी। एवं भूमि का व्यय प्रार्थी के पिता के द्वारा वहन किया गया। तथा पिता की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी में फौतदगी म्यूटेशन भरते समय

सहायक कलेक्टर
मारवाड़ जंक्शन

प्रार्थी का हिस्सा दर्ज न कर केवल अप्रार्थी 1 का हिस्सा दर्ज किया गया जो कि विधि विरूद्ध है। जबकि प्रार्थी भी वादग्रस्त आराजी में 1/10 हिस्से के घोषणा का अधिकारी है। राजस्व रेकर्ड में गलत तरीके से अप्रार्थी का नाम इन्द्राज हो जाने का फायदा उठाते हुए अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी को बेचान करने पर आतुर है। यदि अप्रार्थी को ऐसा करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थी अपने हक हिस्से से वंचित हो सकता है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। साथ ही पृथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में अपने कब्जे काश्त भूमि पर आदिनांक तक काबिज है एवं अप्रार्थी उसे उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आतुर है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को जशीये अस्थायी निषेधाज्ञा से बाधित किया जाना उचित है।

हमने राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थी एवं उनके वकील की बहस पर मनन किया गया। चुंकि यह निर्विवाद तथ्य है तथा प्रार्थी द्वारा बताये तथ्यों व दस्तावेजों से भी जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं है जबकि अप्रार्थी सं0 1 का नाम दर्ज है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा देना न्याय संगत नही एवं विधि के विरूद्ध है। इस बात की पुष्टी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय अनवान त्रिलोक चंद बनाम विमला देवी नजीर RRD- 261 = 2007(1) RRT 103 RLW 2006 (2) RJ 1326 से भी होती है। जिसमे पारित निर्णय के अनुसार अप्रार्थी भूमि का दर्ज खातेदार है– अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर उसके विरूद्ध स्थगन नही दिया जा सकता है। अतः जब तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का निर्णय नही हो जाता है तब तक प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है। साथ ही सभी पक्षकारान वादग्रस्त आराजी पर काबिज है अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी के जारी करना विधि एवं कानून के विरूद्ध है। साथ ही प्रार्थी जो रिलीफ चाहते है वह उचित विधिक परीक्षण किये जाने के उपरान्त मूल वाद में निर्णित की जावेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा काबिल खारिज है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी को खारीज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न मूल प्रार्थना पत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 20/02/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
सहायक कलेक्टर
मारवाड़ जंक्शन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2020.02.21 10:07:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: